

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2074
07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

2074. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत पाँच वर्षों में इस्पात के मूल्य में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे हमारे अवसंरचना विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में इस्पात संयंत्रों के लिए लौह अयस्क अथवा कच्चे माल की आपूर्ति में कोई समस्या है; और
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस्पात उद्योग को और अधिक कुशल बनाने तथा इस्पात को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री फगन सिंह कुलस्ते)

(क): लौह एवं इस्पात के विभिन्न उत्पादों में प्रमुख इस्पात वस्तुओं के औसत मूल्यों में जुलाई, 2018 की तुलना में जुलाई, 2023 में 15% से 40% तक की वृद्धि हुई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

औसत बाजार मूल्य (खुदरा)(जीएसटी को छोड़कर)			
वस्तुएं	जुलाई, 2018	जुलाई, 2023	% परिवर्तन
पिग आयरन	33205	46814	41%
पेंसिल इंगोत्स	34973	43130	23%
वायर रॉड्स 8 एमएम	42812	51610	21%
राउंड्स 12 एमएम	42474	51695	22%
टीएमटी 10 एमएम	40678	51396	26%
प्लेट्स 10 एमएम	45254	55689	23%
एच.आर. कॉइल्स 2.00 एमएम	46816	57199	22%
सी.आर. कॉइल्स 0.63 एमएम	52500	61572	17%
जी.पी. शीट्स 0.63 एमएम	57822	66436	15%

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), मूल्य रुपये प्रति टन में

(ख): घरेलू इस्पात उद्योग की मौजूदा माँग/खपत को पूरा करने के लिए देश में लौह अयस्क का उत्पादन पर्याप्त है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन, आयात एवं निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात
2018-19	206	16.15	12.81
2019-20	244	36.63	1.25
2020-21	205	57.72	0.77
2021-22*	254	26.49	6.68
2022-23*	258	21.17	1.79

स्रोत: आईबीएम और डीजीसीआईएंडएस; मात्रा मिलियन टन में; *अनंतिम

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ कीमतें माँग एवं आपूर्ति, वैश्विक बाजार संबंधी स्थितियाँ, कच्चे माल की कीमत, लॉजिस्टिक लागत, बिजली और ईंधन की कीमत आदि के रुझानों पर निर्भर करती हैं। इस्पात उद्योग को और अधिक सक्षम बनाने तथा उचित कीमतों पर घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक सुविधाप्रदाता के रूप में किए गए नीतिगत उपायों में निम्न शामिल हैं:-

- (i) मई और नवंबर, 2022 के बीच कोकिंग कोल, लौह और इस्पात पर आयात और निर्यात शुल्कों का अंशांकन;
- (ii) 31.03.2024 तक स्टेनलेस स्टील और फेरस स्क्रैप तथा सीआरजीओ कच्चे माल पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क पर छूट देना;
- (iii) लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खान एवं खनिज नीति में सुधार;
- (iv) नॉन-अलॉय, अलॉय और स्टेनलेस के सेमीज, फ्लैट और लॉन्ग उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क को एक समान रूप से घटाकर 7.5% तक करना;
- (v) घरेलू स्तर पर सृजित स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना;
- (vi) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और 'विशेष इस्पात' उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित और प्रारंभ किया गया;
- (vii) इस्पात क्षेत्र के लिए लॉजिस्टिक/कनेक्टिविटी में सुधार करना।
